[illegible]

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्या[illegible] [illegible]

[illegible]

अतारांकित प्रश्न संख्याः 5644

26 [illegible], **2019 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

रोगी कल्याण सर्मातयां और अस्पताल प्रबंधन संस्थाएं

5644. **डॉ॰ हिना विजय** [illegible]

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः

[illegible]

[illegible]

[illegible]

श्री [illegible]

क[illegible] **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोगी कल्याण सर्मातयां (आरकेएस) और अस्पताल प्रबंधन संस्थाएं (एचएमएस) गठित की हैं;

([illegible]) [illegible] तो तत्संबंधी प्रमुख विशेषताएं और दिशानिर्देश क्या हैं तथा देश में वर्तमान में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने आरकेएस/ एचएमएस कार्यरत हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य [illegible] (एनआरएचएम) के सुचारू कार्यकरण हेतु सभी जिला अस्पतालों में आरकेएस/एचएमएस होना अनिवार्य है;

([illegible]) [illegible] तो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने जिला अस्पताल हैं जहां आरकेएस/ एचएमएस हैं और जो प्रशासनिक और स्वास्थ्य संबंधी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं; [illegible]

(ङ) सरकार द्वारा देश में सभी जिला अस्पतालों में आरकेएस/एचएमएस के गठन हेतु क्या [illegible]?

[illegible]

स[illegible]स्थ्य और परिवार कल्या[illegible] [illegible] मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

([illegible]) [illegible] ([illegible]): [illegible] स[illegible]स्थ्य सुविधा केंद्रों की कार्य प्रणाली और सेवा प्रावधान में सुधार करने, भागीदारी को बढ़ाने और जवाबदेही में बढ़ोत्तरी करने के लिए एक संघ के रूप में वर्ष 2005 [illegible] [illegible] ण सर्मातयां (आरकेएस)/अस्पताल प्रबंधन सर्मातयां की शुरूआत हुई थी।

आरकेएस का विस्तृ[illegible] [illegible]द्देश[illegible] स[illegible]स्थ्य सुविधा कद्रों म रोगी परिचया [illegible] में सुधार के लिए सक्रिय नागरिक भागीदारा को सक्षम बनाने हेतु एक परामशदात्री निकाय के रूप म काय करना है। इसम स्था[illegible] स[illegible]त[illegible] [illegible]स[illegible]ों, [illegible]-सरकारा संगठनों ([illegible]) [illegible] [illegible]स[illegible], निर्वाचित जन प्रतिनिधि और राज्य सरकार के अधिकारा शामिल होते ह। आरकेएस [illegible]स[illegible]तालों के लिए न्यासी के रूप म अस्पताल के मामलों का प्रबंधन करने के लिए काय करती [illegible] [illegible]स[illegible]ताल म रोगियों के लिए बेहतर सेवाओं का व्य[illegible]स[illegible] [illegible]श[illegible] [illegible]त[illegible] [illegible] प्र[illegible] स[illegible]स्थ्य कद्रों और उससे ऊपर स्त[illegible] [illegible] स[illegible]स्थ्य सुविधा कद्रों [illegible] 2015 म रोगी कल्याण समितियों संबंधी दिशा-निदशों म [illegible], जो सावजनिक पटल [illegible]:

https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid+153&lid=229 [illegible]ब[illegible]

प्र[illegible] स[illegible]स्थ्य कद्र स्त[illegible] [illegible] [illegible]33,261 [illegible] स[illegible]स्थ्य कद्रों म से राष्ट्री[illegible] स[illegible]स्थ्य [illegible]([illegible]) - [illegible] [illegible] 31 [illegible], 2019 का स्थिति के [illegible] 33,212 [illegible]

([illegible]) [illegible] (घ): एनएचएम के तहत उन डीएच को अनियोजित अनुदान के रूप म वित्ती[illegible] सहयोग प्रदान किया जाता है, [illegible]न्[illegible]/[illegible] [illegible]स[illegible] [illegible]ज[illegible]/[illegible]ज[illegible] क्षेत्र-[illegible] ब[illegible] [illegible]ग[illegible] [illegible]/[illegible]

([illegible]): भारत सरकार ने डीएच सहित प्राथमिक स्वास्थ्य [illegible]द्र [illegible]स[illegible] [illegible]रू [illegible] स[illegible]स्थ्य कद्रों म आरकेएस/एचएमएस के गठन के लिए समय-समय पर निदश दिए ह। गठित आरकेएस/एचएमएस का स्थिति का नियमित रूप से निगरानी का जाती है।

[illegible]		
[illegible]		
क्र.[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	37
2	[illegible]	26
3	[illegible]	12
4	जम्मू और कश्मीर	23
5	[illegible]	24
6	[illegible]	51
7	[illegible]	32
8	[illegible]	27
9	उत्तर प्रदेश	165
10	[illegible]	19
11	[illegible]	18
12	[illegible]	25
13	[illegible]	8
14	[illegible]	11
15	[illegible]	9
16	[illegible]	11
17	[illegible]	4
18	[illegible]	6
19	[illegible]	14
20	[illegible]	2
21	[illegible]	22
22	[illegible]	22
23	[illegible]	32
24	[illegible]	53
25	महाराष्ट्र	23
26	[illegible]	22
27	[illegible]	31
28	[illegible]	6
29	[illegible]	22
30	एक प्रायद्वीप	3
31	[illegible]	1
32	[illegible]	1
33	[illegible]	2
34	दिल्ली	23
35	[illegible]	1
36	[illegible]	5
[illegible]		793

स्रोत: माच, 2019 को स्थिति के अनुसार एनएचएम - [illegible]

*****